न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 24/2020

1. इन्द्रराम पुत्र श्री का ीराम जाति बि नोई निवासी चक 6 बी.डी. तहसील खजूवाला जिला बीकानेर।
.....प्रार्थी

बनाम

1 हेतराम पुत्र श्री का ीराम जाति बि नोई निवासी चक 6 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :– 16.03.2021**

प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी इन्द्रराम के नाम चक 9 बीडी के मुरब्बा नंबर 154/44 के किला नंबर 1 से 10 व 15 और 16 कुल 12 बीघा भूमि बतौर खातेदार दर्ज है। इस मुरब्बे की बाकी भूमि अप्रार्थी संख्या 1 हेतराम के नाम दर्ज है। प्रार्थी का कहना है कि दोनों पक्षों के मध्य 1991 में पारिवारिक समझौता हुआ था, जिसके तहत प्रार्थी को किला नंबर 25 में रास्ते का इस्तेमाल करने की सहमति दी गई थी। प्रार्थी पिछले कई सालों से किला नंबर 25 से होकर सड़क तक पहुंच रहा है। लेकिन अप्रार्थी द्वारा बार–बार रास्ता बंद कर दिया जाता है, इसलिए वह उस रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अप्रार्थी ने जवाब दिया है कि उन दोनों के मध्य ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था। लेकिन उसने किला नंबर 25 में पूर्व दिशा में पक्के खाले के साथ–साथ एक बिस्वा रास्ता छोड़ रखा है। यदि प्रार्थी द्वारा इस एक बिस्वा रास्ते के बदले उसे साथ लगते हुए किले में एक बिस्वा भूमि दी जाती है तो वह रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में करवाने के लिए राजी है।

दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर किया गया। अदालत का मानना है कि अप्रार्थी की यह मांग कि उसे भूमि के बदले भूमि दी जाए गैर वाजिब नहीं कही जा सकती क्योंकि किसान के लिए भूमि की सबसे अच्छी कीमत क्या है यह वही जानता है।

प्रार्थी इस मांग पर सहमत नहीं है। वह परिवारिक समझौते के आधार पर रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है। अदालत का मानना है कि प्रार्थी द्वारा यह मांग कि भूमि के बदले भूमि दी जाए मानने से इनकार करने की कोई वाजिब वजह नहीं है। प्रार्थी जिस पारिवारिक समझौते की बात कर रहा है वह एक अपंजीकृत दस्तावेज है। यदि मान भी लिया जाए कि उस समय दोनों पक्षों के मध्य कोई समझौता हुआ था तो भी इस दस्तावेज के आधार पर उस समझौते को बाध्यकारी तौर पर लागू नहीं करवाया जा सकता।

इसलिए अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि यदि प्रार्थी भूमि के बदले भूमि देने को तैयार है तो उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया कर दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि प्रार्थी इस बात पर सहमत नहीं है इसलिए इस प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:36:50 IST
Reason: SelfAttested